



संख्या-40 /2026/1/1482789/2026/002 -71-4099-19-2025

प्रेषक,

हरीश कुमार,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 01.10.2026

विषय:- पी0पी0पी0 मोड पर स्थापित मेडिकल कालेज को Incentive प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई-1/2026/1/718367, दिनांक 06.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी0पी0पी0 मोड पर पी०पी०पी० मोड पर स्थापित अजय सिंघाल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज रिसर्च एण्ड आयुष्मान हॉस्पिटल शामली के कम में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अध्ययनरत 150 छात्र (बैच 1, द्वितीय वर्ष) तथा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अध्ययनरत 200 छात्र (बैच 2, प्रथम वर्ष) के दृष्टिगत कंशेसन एग्रीमेन्ट में विहित प्राविधान 4.3 Assistance per seat के आधार पर Rs 500000*350 (150+200) = Rs 17.5 करोड की हाफ धनराशि Rs 8.75 करोड के भुगतान का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 17.09.2021 द्वारा निर्गत नीति में विहित व्यवस्था के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-92 (16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेज की स्थापना) के मानक मद 42 अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अजय सिंघाल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज रिसर्च एण्ड आयुष्मान हॉस्पिटल शामली को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अध्ययनरत 150 छात्र (बैच 1, द्वितीय वर्ष) तथा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अध्ययनरत 200 छात्र (बैच 2, प्रथम वर्ष) निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों के अधीन धनराशि ₹0 8,75,00,000.00 (रूपये आठ करोड पचहत्तर लाख मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	विवरण	धनराशि (amount in rupees)
1	Assistance per seat (Batch one-150 student + Batch two- 200 student = 350 student) (Half of 350*5,00,000=8,75,00,000.00)	8,75,00,000.00
	Total (Eight Crore Seventy Five Lac only)	8,75,00,000.00

- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा एवं उक्त धनराशि के आकलन एवं शुद्धता के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
 3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक-31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा।
 5. संस्था द्वारा शासन से किये गये कन्शेसन एग्रीमेन्ट दिनांक- 12 जुलाई, 2023 में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा उक्त धनराशि को कोषागार से आहरित कर नियमानुसार अजय सिंघाल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च एण्ड आयुष्मान हॉस्पिटल शामली को उपलब्ध कराया जायेगा।
 7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा प्रदेश में पी०पी०पी० मोड पर स्थापित मेडिकल कालेज को स्वीकृत Incentive के संबंध में एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें संबंधित मेडिकल कालेज को स्वीकृत/ अवमुक्त धनराशि का स्पष्ट अंकन किया जायेगा। संबंधित मेडिकल कालेज को शैक्षणिक सत्र में Incentive प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित मेडिकल कालेज को प्रदान किये जाने वाला Incentive उन्हें नियमानुसार अनुमन्य है अथवा नहीं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त स्वीकृत / अवमुक्त Incentive के भुगतान की द्विवरावृत्ति न हो।
- 2-इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,75,00,000 (रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050392 16** असेवित जनपदों में पी०पी०पी० मोड पर मेडिकल कालेज की स्थापना **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-101/दस-2026-27 दिनांक 18-09-2026 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबंधक, अजय सिंघाल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च एण्ड आयुष्मान हॉस्पिटल शामली।
5. वित्त अधिकारी, महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
8. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।